

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाडमेर


<p>प्रार्थीगण :- 1. खान 2. खानू 3. आलम पि. फताखां जाति मुसलमान, निवासी सुरपुरा तहसील चौहटन, जिला बाडमेर।</p>	<p>विप्रार्थीगण 1. सचू 2. बचू 3. रसूल 4. अमीर 5. रशीद 6. रेशम पि. फजीया- जाति मुसलमान, निवासी सुरपुरा 7. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. कोनरा 8. सहायक अभियन्ता जोविविनिलि चौहटन। 9. तहसीलदार एवं उपपंजीयक चौहटन</p>
---	---

16/7/18

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न 256/2018

प्रार्थीगण के वकील श्री जगदीश पोटलिया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। सलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के हक में कयास होता है। अतः उभयपक्ष को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वो तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कोनरा के मौजा सुरपुरा के खसरा सं. 161 रकबा 212.02 बीघा भूमि में मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस 07 दिवस में रजि.एडी. सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जावे। तहसीलदार चौहटन को तहरीर जारी हो। तलबी विप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी.नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 24.08.18 को पेश हो।



 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी चौहटन
 (S.D.O) चौहटन

25/8/18

पत्रावली विप्रार्थी सं. 1 स्ले 6 के वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। सलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के हक में कयास होता है। अतः उभयपक्ष को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वो तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कोनरा के मौजा सुरपुरा के खसरा सं. 161 रकबा 212.02 बीघा भूमि में मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस 07 दिवस में रजि.एडी. सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जावे। तहसीलदार चौहटन को तहरीर जारी हो। तलबी विप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी.नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 24.08.18 को पेश हो।

30/8/18

पत्रावली आज नलब हुई। मूल वाद जरिये रजि.नं. 11/18 वि.डी. के चुकाई। अतः आवेदन के आगे की कार्यवाही का कोई कार्य चला नहीं रहा। अतः आवेदन के आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर आवेदन विरुद्ध लिखा जा रहा है। पत्रावली मूल मुद्दा हेतु 4/11/18 को पेश हो।


 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी चौहटन
 (S.D.O) चौहटन

मि. 1/18